न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 3259–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 10–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0 प्रकरण कमांक 673/2011–12/अपील.

ग्राम पंचायत दुमधना द्वारा सरपंच
जसवंत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
जनवद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
2. वनसंरक्षक, वन मण्डल शिवपुरी
   बी0पी0 उपाध्याय, संयुक्त वनमण्डल अधिकारी
   करैरा वनमण्डल शिवपुरी म0प्र0

---- अनावेदकगण

– – –

श्री अंशमन दूधावत, अभिभाषक– आवेदक
श्री अनिल श्रीवास्तव – अभिभाषक – अनावेदक कमांक 1
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक – अनावेदक कमांक 2

– – –

:: आदेश पारित ::

– – –

(आज दिनांक 6 फरवरी 2016 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 10–7–2013 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलोथरा अब्बल की भूमि सर्वे कमांक 944 रकबा 0.75 हे0 को म0प्र0 शासन वन विभाग शिवपुरी

के आवेदन एवं तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 13–3–12 को कार्यालय एवं कर्मचारियों के आवास के प्रयोजन हेतु सुरक्षित किये जाने का अनुमोदन किया गया। आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 3029/12 प्रस्तुत की गई एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–5–12 को यह निर्देश दिये कि अपर कलेक्टर याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुये कारण सहित आदेश पारित करें। ग्राम पंचायत द्वारा अपर कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुकम में कार्यवाही करने का अनुरोध किया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 10–7–12 को यह माना कि आवेदक ग्राम पंचायत के सरपंच यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि संबंधित भूमि ग्राम पंचायत के अधिपत्य एवं स्वामित्व की है, परन्तु साथ ही अपर कलेक्टर ने इश्तहार प्रकाशन दोषपूर्ण होने से तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी करैरा के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुरक्षित करने संबंधी उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक 113/11–12/अ–59 का अनुमोदन आदेश दिनांक 13–3–12 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध वनसंरक्षक वन मण्डल शिवपुरी द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग को अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने आदेश दिनांक 10–7–13 में यह मानते हुये कि आलोच्य भूमि पर ग्राम पंचायत दुमधना का स्वामित्व नहीं है और न ही इस दिनांक को ग्रम पंचायत का आवेदन भूमि आवंटन हेतु किसी न्यायालय में लम्बित रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुकम में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उसके द्वारा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी पारित नहीं कराया है। अतः रेस्पो0 के द्वारा बिना संकल्प के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का हक नहीं है, आलोच्य भूमि में ग्राम पंचायत का स्वत्व/हित नहीं है। इश्तहार के त्रुटिपूर्ण प्रकाश के तकनीकी अधार पर प्रकरण में उपलब्ध वास्तविक तथ्यों को नहीं बदला जा सकता है। वन विभाग

शासकीय विभाग होकर म0प्र0 शासन का उपकम है जिसके द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन, संधारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य गलत बताया गया है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ही सरपंच ने अपील की। जबकि वास्तव में ग्राम पंचायत ने अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर न्यायालय में कोई अपील नहीं की थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अपर कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही पुनः प्रारंभ की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच उपस्थित हुआ। अपील प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है। यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दिनांक 17–8–13 को पारित हुआ जिसमें सरपंच को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए अधिकृत किया गया। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त के आदेश में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक उद्धरण 2008(4) एमपीएचटी 132 डीबी में ग्राम पंचायत को अपनी ओर से किसी कार्यवाही करने के लिए किसी को अधिकृत करना होता है यह इस प्रकरण में लागू नहीं है क्योंकि यह रूलिंग न्यायालयीन कार्यवाही के लिए नहीं है अपितु किसी कार्यवाही के लिए प्रकरण शुरू करने के सम्बन्ध में है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये साथ ही अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा वन विभाग को भूमि आरक्षित करने संबंधी प्रकरण में पारित आदेश अवैधानिक होने से उसको भी निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सर्वप्रथम यह निगरानी ही प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि मूल आदेश अपर कलेक्टर द्वारा पारित किया गया जिसकी प्रथम अपील अपर आयुक्त को की गई अतः अपर अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायायल में निगरानी प्रस्तुत न की जाकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी क्योंकि अपीलीय आदेश के

विरूद्ध निगरानी नहीं हो सकती है। यह भी तर्क दिया कि अपर कलेक्टर का विचाराधीन आदेश दोनों पक्षों के विरूद्ध था क्योंकि एक तो ग्राम पंचायत के विरूद्ध जिसमें उन्होंने अपने आदेश में ग्राम पंचायत का विचाराधीन भूमि पर कोई भूमिस्वामी अधिकार नहीं माना तथा दूसरा, वन विभाग के विरूद्ध जिसमें भूमि आरक्षित करने हेतु इश्तहार प्रकाशन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वन विभाग को भूमि आरक्षित करने का आदेश भी निरस्त किया है। इस प्रकार अपर कलेक्टर का आदेश दोनों पक्षों के ही विरूद्ध था। चूंकि ग्राम पंचायत को विचाराधीन भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व नहीं माना था इसलिए उन्हें अपर कलेक्टर के इस आदेश की अपील करनी चाहिए थी, परन्तु उन्होंने इसकी अपील कमिश्नर को, एवं सीधी राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की। जिस आदेश की कोई अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई हो ऐसे अपीलीय आदेश की उससे वरिष्ठ न्यायालय में द्वितीय अपील या निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसलिए यह निगरानी निरस्त योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध ग्राम पंचायत ने कोई अपील नहीं की इसलिए अपर कलेक्टर का आदेश उस सीमा तक अंतिम माना जायेगा जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत के विरूद्ध निष्कर्ष निकाला है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त न्यायालय में अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में आदेश होना इसमें अपीलार्थी की ही गलती है क्योंकि एक बार उपस्थित होने के पश्चात नियमित रूप से उपस्थित होना अपीलार्थी की दायित्व था। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया कि मान0 उच्च न्यायालय ने लिबर्टी देते हुये अपर कलेक्टर को प्रकरण सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया परन्तु सरपंच एवं ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि अपनी ओर से प्रस्ताव पारित कर सरपंच को अधिकृत करते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच को अधिकृत करने संबंधी संकल्प दिनांक 17–8–13 को किया गया जबकि अपर आयुक्त का आदेश 10–7–13 का तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–7–12 का है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश के पूर्व ग्राम पंचायत से

कार्यवाही हेतु सरपंच को अधिकृत नहीं किया था। अपर आयुक्त ने इस प्रकरण में जो आदेश किया है वह तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन, उनके अभिलेख का अवलोकन करते हुये गुण–दोष पर किया गया है। अतः अपर कलेक्टर ने इस्तहार प्रकाशन की प्रकिया की त्रुटि मानकर भूमि आरक्षित रखने संबंधी आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है इसलिए अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है। यह भी कहा कि वन विभाग शासन का विभाग है तथा विचाराधीन भूमि को ठीक करने पर उसकी काफी राशि खर्च हो चुकी है। अतः न्यायहित में अपर कलेक्टर का भूमि पर ग्राम पंचायत का स्वामित्व न माना जाकर वन विभाग को भूमि आरक्षित संबंधी आदेश यथावत रखा जाये। निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि म0प्र0 शासन की दर्ज है। ग्राम पंचायत का उस पर कोई भूमिस्वामित्व किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है। मान0 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुकम में अपर कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को सुनकर कार्यवाही प्रारंभ की थी। उसमें भी उन्होंने यह माना था कि ग्राम पंचायत का विचाराधीन भूमि पर भूमिस्वामित्व प्रामाणित नहीं हो सका है। यद्यपि इश्तहार प्रकाशन में हुई त्रुटि के कारण अपर कलेक्टर ने भूमि आरक्षित करने के आदेश को निरस्त किया था। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 10–7–12 में ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिया गया है इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अपर आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश उचित है। ग्राम पंचायत संबंधित भूमि पर न तो अपना भूमिस्वामित्व सिद्ध कर सका है और न ही इस प्रकार की जानकारी देने में सफल रहा है कि विचाराधीन भूमि पर ग्राम पंचायत का किस प्रकार से हित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को अपने आवंटन के लिए मांग की थी अथवा उक्त

भूमि पर ग्राम पंचायत का किसी प्रकार का कोई कब्जा अथवा किसी प्रकार से दायित्व है यह भी नहीं बता सके। इस स्थिति में म0प्र0 शासन की भूमि को शासन के विभाग वन विभाग को शासकीय कार्यालय एवं अधिकारी कर्मचारियों के आवास के लिए आरक्षित रखने संबंधी आदेश जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है वह उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10–7–13 यथावत रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर